न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :— श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 20ए/2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 26.10.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2024/345

1. धर्माराम पुत्र मुकनाराम
2. मोहनलाल पुत्र मुकनाराम
3. चेनाराम पुत्र मुकनाराम जातिगण सीरवी निवासीगण कुशालपुरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र भगाराम जाति सीरवी
2. भंवरलाल पुत्र भगाराम
3. थानाराम पुत्र चौथाराम
4. छगनबाबु उर्फ छगन पुत्र लादूराम जातिगण सीरवी निवासीगण कुशालपुरा
5. . तहसीलदार रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी उपस्थित
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक :— 19.09.2024

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा भू अभिलेख निरीक्षक पिपलिया कलां की जमाबंदी संवत् 2075—78 के नया खाता सख्यां 180 खसरा संख्या 583 रकबा 26.8549 किस्म चाही सोयम, खातेदारी भूमि आई हुई हैं।

उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे प्रार्थना पत्र में प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा प्रार्थनाग्रस्त आराजी की चालु जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त खातेदारी जमीन में प्रार्थीगण की पुश्तैनी हक व हिस्सा आता हैं तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं प्रार्थीगण के पिताजी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा चेलाराम के फौत होने पर प्रार्थीगण के पिता की पुश्तैनी भूमि हैं। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के दादा चेलाराम के फौत होने पर प्रार्थीगण के पिताजी का नाम मुकनाराम पुत्र चेलाराम के स्थान पर माना पुत्र चेला दर्ज कर दिया क्योंकि मुकनाराम को लोग लाड प्यार से माना कहकर बुलाते थे एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम बहुत समय पूर्व दर्ज हुआ जिस कारण उस समय ओछा शब्द भी दर्ज कर लेते थे इसलिए मुकनाराम के स्थान पर माना दर्ज किया गया। जो गलत हो गया जिसे न्यायहित में सुधारा जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रार्थीगण के पिताजी का देहान्त हो गया था। इस कारण प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण के द्वारा अपने पिताजी के फौतेदगी नामान्तरण भरवाने बाबत् दिनांक 23.08.2023 को ऑनलाईन जमाबंदी निकालने पर उक्त गलती की [illegible] जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत दर्ज रेकर्ड हैं तब प्रार्थीगण ने पटवारी [illegible] से सम्पर्क किया तथा नाम संसोधन करवाने का निवेदन किया, तो उन्होंने [illegible] प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लाकर देने का कहने पर तथा प्रार्थना [illegible] नहीं होने का बताने पर श्रीमान् के न्यायालय मे प्रार्थना पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने नाम माना पुत्र चेला के स्थान पर मुकनाराम पुत्र चेलाराम दर्ज संसोधन [illegible]ाने का अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पेश हैं।जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रार्थीगण की ओर निम्न अनुतोष फरमावे कि सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा भू अभिलेख निरीक्षक पिपलिया कलां की जमाबंदी संवत् 2075–78 के नया खाता सख्यां 180 खसरा संख्या 583 रकबा 26.8549 किस्म चाही सोयम मे प्रार्थीगण के दादा चेलाराम के फौत होने पर उनके पिताजी का नाम माना पुत्र चेला दर्ज किया जो गलत हैं जबकि प्रार्थीगण का समस्त राजकीय दस्तावेज राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र में मुकनाराम पुत्र चेलाराम हैं एवं साथ ही ग्राम करमावास मालियान पटवार हल्का मोहराकलां के खाता संख्या 107 में मुकनाराम पुत्र चेलाराम दर्ज हैं इसलिए राजस्व रेकर्ड में ग्राम कुशालपुरा के खाता संख्या 180 मे दर्ज नाम माना पुत्र चेला के स्थान पर मुकनाराम पुत्र चेलाराम संसोधन करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से वकालतनामा मय इकबालिया जबाव प्राप्त हुआ हैं जो संलग्न प्राप्त हुआ हैं। प्रस्तुत इकबालिया जबाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सही होने से सत्य हैं तथा माना पुत्र चेला एवं मुकनाराम पुत्र चेलाराम दोनो एक ही व्यक्ति का नाम हैं जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

अप्रार्थी तहसीलदार रायपुर के पत्रांक/भूअ/24/2414 दिनांक 16.08..2024 के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिसमें पटवारी हल्का की जांच अनुसार ग्राम कुशालपुरा के खसरा नम्बर 578, 579, 580, 581, 583 के खातेदार माना पुत्र चेला का सही नाम मुकनाराम पुत्र चेलाराम हैं दोनो नाम का एक ही व्यक्ति हैं। राजस्व रेकर्ड में खातेदार का माना पुत्र चेला को सही नाम मुकनाराम पुत्र चेलाराम किया जाने की अनुशंषा के सहित जांच रिपोर्ट पेश की हैं।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तहत पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली हों। इस पर अप्रार्थी अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं की हैं। प्रार्थना पत्र में बताया कि उक्त पत्रावली में प्रार्थीगण के पिताजी का नाम संसोधन करने हेतु पेश किया था, लेकिन हल्का पटवारी रिपोर्ट बनाने पर ज्ञात हुआ कि खाता संख्या 181 व 182 में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम मुकनाराम पुत्र चेलाराम के स्थान पर माना पुत्र चेला दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर उभयपक्ष बहस सुनी जाकर स्वीकार किया जाता हैं तथा आवश्यक संसोधन खाता संख्या 181 व 182 को जोडे जाने के आदेश दिये जाते हैं। संशोधित प्रार्थना पत्र पेश हुआ हैं जों संलग्न पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन् के पश्चात् सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा के खाता संख्या 180 खसरा नम्बर 583, खाता संख्या 181 खसरा नम्बर 578 तथा खाता संख्या 182 खसरा नम्बर 579,580, 581 में दर्ज नाम माना पुत्र चेला के स्थान पर मुकनाराम पुत्र चेलाराम नाम दर्ज के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद सरहद मौजा कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा के खाता संख्या 180 खसरा नम्बर 583, खाता संख्या 181 खसरा नम्बर 578 तथा खाता संख्या 182 खसरा नम्बर 579,580, 581 में दर्ज माना पुत्र चेला के स्थान पर मुकनाराम पुत्र चेलाराम नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)